प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NLEP/83/2013–14/5591-75 दिनांक: 7/2/14

विषय : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम हेतु जनपदों में वर्ष 2013–14 की द्वितीय किस्त की जनपदवार, मदवार अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2013–14 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–जी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित रू0 1327.97 लाख की धनराशि सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में जनपदों को विभिन्न मदों में रू0 189.465 लाख की धनराशि दिनांक 27.09.2013 को आवंटित की जा चुकी है।

2. अपर निदेशक (कुष्ठ)/राज्य कुष्ठ अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में प्रथम किस्त अवमुक्त करने के उपरान्त जनपदों में शेष अनकमिटेड धनराशि को घटाते हुये द्वितीय किस्त की धनराशि जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू0 194.07 लाख एवं जनपद झांसी के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अनकमिटेड धनराशि रू0 20731.00 को घटाते हुये प्रथम किस्त की रू0 2.07889 लाख इस प्रकार कुल 196.14526 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है–

SN	District	Proposed budget for 2nd release	Uncommited balanace in districts after 1st released	Amount to be released in 2nd installment	Uncommited balanace will be remain in districts after 2nd release
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Agra	317800	0	317800	0
2	Mainpuri	223000	0	223000	0
3	Mathura	246700	0	246700	0
4	Firozabad	229200	0	229200	0
5	Aligarh	459900	0	459900	0
6	Hathras	215900	0	215900	0
7	Etah	354100	65260	288840	0
8	Kasganj	219400	64682	154718	0
9	Allahabad	274000	610827	0	336827
10	Kaushambi	222200	0	222200	0
11	Fatehpur	233400	0	233400	0
12	Pratapgarh	261200	0	261200	0
13	Banda	352300	0	352300	0
14	Chitrakoot	342000	0	342000	0
15	Hamirpur	217200	0	217200	0
16	Mahoba	215000	36846	178154	0
17	Jhansi	476500	0	476500	0

--- 2

SN	District	Proposed budget for 2nd release	Uncommited balanace in districts after 1st released	Amount to be released in 2nd installment	Uncommited balanace will be remain in districts after 2nd release
1	2	3	4	5 (3-4)	6
18	Lalitpur	239400	0	239400	0
19	Jalaun	224600	0	224600	0
20	Kanpur Nagar	328900	0	328900	0
21	Kanpur Dehat	219000	0	219000	0
22	Etawah	237800	0	237800	0
23	Auraiya	218900	0	218900	0
24	Farrukhabad	604800	0	604800	0
25	Kannauj	246200	0	246200	0
26	Rampur	263200	246032	17168	0
27	Moradabad	311600	0	311600	0
28	Amroha	235000	0	235000	0
29	Bijnor	262500	21727	240773	0
30	Azamgarh	253800	163967	89833	0
31	Ballia	240400	0	240400	0
32	Mau	275300	0	275300	0
33	Bareilly	349900	67897	282003	0
34	Badaun	279200	0	279200	0
35	Pilibhit	237900	716663	0	478763
36	Shahjahanpur	261400	248389	13011	0
37	Basti	236100	0	236100	0
38	Siddharth Nagar	228500	0	228500	0
39	Sant Kabir Nagar	595600	0	595600	0
40	Gonda	744200	0	744200	0
41	Bahraich	246800	168625	78175	0
42	Shravasti	201300	117189	84111	0
43	Balrampur	246300	0	246300	0
44	Barabanki	240800	13280	227520	0
45	Amethi	1355900	88344	1267556	0
46	Faizabad	245400	221151	24249	0
47	Ambedkarnagar	216500	0	216500	0
48	Sultanpur	372500	0	372500	0
49	Lucknow	318500	1853742	0	1535242
50	Sitapur	255200	0	255200	0
51	Raebarely	245100	39430	205670	0
52	Kheri	272500	42191	230309	0
53	Unnao	284000	285536	0	1536
54	Hardoi	253500	0	253500	0
55	Bulandshahr	273000	0	273000	0
56	Ghaziabad	303400	0	303400	0
57	G B Nagar	232600	0	232600	0
58	Meerut	327200	0	327200	0
59	Bagpat	240700	71527	169173	0
60	Saharanpur	261400	16174	245226	0
61	Muzaffarnagar	231300	183852	47448	0

---3

SN	District	Proposed budget for 2nd release	Uncommited balanace in districts after 1st released	Amount to be released in 2nd installment	Uncommited balanace will be remain in districts after 2nd release
1	2	3	4	5 (3-4)	6
62	Deoria	249800	0	249800	0
63	Maharajganj	222000	0	222000	0
64	Kushinagar	231100	0	231100	0
65	Gorakhpur	355100	0	355100	0
66	Mirzapur	242900	0	242900	0
67	Sonbhadra	239800	0	239800	0
68	St. Ravidas Nagar	215100	0	215100	0
69	Jaunpur	289000	0	289000	0
70	Ghazipur	233600	704431	0	470831
71	Chandauli	218000	0	218000	0
72	Varanasi	950400	0	950400	0
73	Sambhal	206700	0	206700	0
74	Hapur	199200	0	199200	0
75	Shamli	200600	0	200600	0
Total		**22631200**	**6047761**	**19406637**	**2823199**
1st intallment to be released to DHS, Jhansi as proposed by CMO, Jhansi		228620	20731	207889	0
Grand Total		**22859820**	**6068492**	**19614526**	**2823199**

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि की विस्तृत जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार फांट संलग्नक 1 पर दिया जा रहा है। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, उ0प्र0 द्वारा पृथक से जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NLEP/83/2013–14/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग हेतु जनपदों को अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

5. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

/

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक